भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 352

बुधवार, दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर एएलसीएम अधिसूचना का प्रभाव

***352. श्री टी.एम. सेल्वागणपतिः** क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं, जो अभी तक लंबित हैं और जिनका अभी कार्यान्वयन नहीं हुआ है, पर सरकार द्वारा अधिसूचित सौर सेलों के लिए सेल विनिर्माताओं की अनुमोदित लिस्ट (एएलसीएम) का प्रभाव पड़ने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सौर प्रकाशवोल्टीय मॉड्यूल विनिर्माता अनिवार्य रूप से केवल एएलसीएम के अंतर्गत लिस्टबद्ध सेलों में से ही सौर पीवी सेल का उपयोग करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एएलसीएम आरंभ किए जाने से भारतीय सौर उद्योग के लिए कई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पर्याप्त घरेलू सेल विनिर्माण क्षमता सुनिश्चित किए बिना एएलसीएम से सौर पीवी सेलों के अनिवार्य उपयोग की अधिसूचना लागू हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या यह भी सच है कि भारत की मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता लगभग 190 गीगावॉट तक पहुंच गई है जबकि घरेलू सौर सेल विनिर्माण क्षमता केवल 25 गीगावॉट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या यह भी सच है कि भारत की वार्षिक सौर संस्थापना आवश्यकता लगभग 50 गीगावॉट होने का अनुमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा शिक्षा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर ALCM अधिसूचना का प्रभाव' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 352 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) दिनांक 09.12.2024 को, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने सौर फोटोवोल्टिक (PV) सेलों के लिए मॉडलों और निर्माताओं की स्वीकृत लिस्ट (ALMM) लिस्ट- II के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया था और उसके लिए जारी किए गए विभिन्न स्पष्टीकरणों/संशोधनों के अनुसार, कुछ निर्दिष्ट परियोजनाओं को ALMM लिस्ट-I (सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए) से सौर पीवी मॉड्यूलों और ALMM लिस्ट-II (सौर पीवी सेल के लिए) से सौर पीवी सेल का उपयोग करना अनिवार्य है, जैसा कि MNRE द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार है, जिन्हें व्यापक तौर पर इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

(i) **बोली के माध्यम से प्रदान की गई परियोजनाओं के लिए**, यदि बोली जमा करने की अंतिम तिथि 31.08.2025 की कट-ऑफ तिथि (दिनांक 31.07.2025 की प्रारंभिक ALMM लिस्ट-II के प्रकाशन के एक महीने बाद आने वाली तारीख) को या उससे पहले है, तो परियोजनाओं को ALMM लिस्ट-II (सौर सेलों के लिए) से छूट दी गई है, अन्यथा नहीं। इस प्रावधान की प्रयोज्यता उन बोलियों पर है जो दिनांक 28.07.2025 तक लाइव थीं। तथापि, यदि निविदाओं में बोली की शर्तें जहां बोली जमा करने की अंतिम तिथि **09.12.2024** *(सौर पीवी सेलों के लिए ALMM के कार्यान्वयन के लिए MNRE के दिनांक 09.12.2024 कार्यालय ज्ञापन संख्या 283/59/2024-ग्रिड सोलर को जारी करने की तिथि) और दिनांक* **28.07.2025** *(MNRE के दिनांक 28.07.2025 कार्यालय ज्ञापन संख्या 283/59/2024-ग्रिड सोलर के माध्यम से MNRE के दिनांक 09.12.2024 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में संशोधन की तिथि) के बीच थी,* सौर पीवी सेलों के लिए ALMM लिस्ट-II से सौर पीवी सेलों के उपयोग के लिए प्रदान की गई ऐसी शर्तें मान्य रहेंगी।

(ii) **नेट-मीटरिंग और ओपन एक्सेस परियोजनाओं के लिए,** यदि दिनांक 31.12.2026 तक चालू हो जाती हैं, तो परियोजनाओं को सौर सेलों के लिए ALMM लिस्ट-II से छूट दी गई है, अन्यथा नहीं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिनांक 18.07.2026 को सौर पीवी सेलों के लिए ALMM लिस्ट-II से छूट के साथ चालू करने के लिए नेट-मीटरिंग/ओपन एक्सेस नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं को दिनांक 31.05.2026 से आगे दिनांक 31.12.2026 तक सात महीने का अतिरिक्त समय-विस्तार दिया है।

इसके अतिरिक्त, बोली के माध्यम से आवंटित परियोजनाओं को, निर्धारित शर्तों के अधीन, उक्त विस्तार से बहुत पहले ही सोलर पीवी सेलों के लिए ALMM लिस्ट-II के अंतर्गत पहले ही शामिल किया गया था, और ऐसी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वालों ने अपनी बोलियां जमा करते समय सोलर पीवी सेल के लिए ALMM लिस्ट-II के अनुपालन से संबंधित प्रावधानों को विधिवत ध्यान में रखा होगा।

अतः, चल रही परियोजनाओं को किसी भी चुनौती से बचाने के लिए, सोलर PV सेलों के लिए ALMM लिस्ट-II के कार्यान्वयन के संबंध में पर्याप्त अग्रिम नोटिस अवधि प्रदान की गई है।

इसके अलावा, सरकार ने कोई व्यापक आदेश जारी नहीं किया है जिसमें यह अनिवार्य किया गया हो कि सौर फोटोवोल्टीय मॉड्यूल निर्माता अनिवार्य रूप से केवल ALMM लिस्ट-II के तहत लिस्टबद्ध सेलों में से ही सौर पीवी सेल का उपयोग करें।

(ग) सोलर पीवी (PV) सेलों के लिए ALMM लिस्ट-II को लागू करने की समग्र नीति, सौर क्षेत्र के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें सौर ऊर्जा डेवलपर्स, सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माताओं, सोलर सेल निर्माताओं और नेट-मीटरिंग/ओपन एक्सेस नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना डेवलपर्स सहित जैसे विभिन्न हितधारकों के हितों का उचित ध्यान रखा गया है**,** और इसका लक्ष्य भारतीय सौर उद्योग के समग्र दीर्घकालिक लाभ के साथ-साथ अल्पकालिक चुनौतियों, यदि कोई हो, को दूर करना है।

(घ) पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) का लाभ उठाने वाली परियोजनाओं और पीएम-कुसुम योजना के घटकों बी और सी के लिए पहले से ही स्वदेशी स्तर पर निर्मित सोलर पीवी मॉड्यूलों और सेलों का उपयोग करना अनिवार्य था। इसलिए, इन्हें पहले ही पिछली मांग के अनुमानों में शामिल कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.12.2026 के बाद शुरू होने वाली सभी परियोजनाओं के लिए ALMM लिस्ट-II से सोलर PV सेल का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कुछ परियोजनाओं को सोलर PV सेलों के लिए ALMM लिस्ट-II से छूट प्राप्त है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

I. 09.12.2024 को या उससे पहले बोली जमा करने की अंतिम तिथि वाली परियोजनाओं को पहले से ही सौर पीवी सेलों के लिए ALMM लिस्ट-II से छूट दी गई है, जिससे सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए एक बाजार तैयार होता है जो ALMM लिस्ट-I (सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए) में हैं, परन्तु ALMM लिस्ट-II (सौर पीवी सेलों के लिए) से सौर पीवी सेलों का उपयोग नहीं करते हैं

II. पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की 'गिव-इट-अप' श्रेणी के अंतर्गत आवासीय रूफटॉप सौर परियोजनाओं को, यदि वे केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) छोड़ने का विकल्प चुनती हैं, तो 31 मार्च 2027 तक ALMM लिस्ट-II (सौर PV सेल के लिए) से छूट दी गई है, बशर्ते कि ऐसे आवेदन अनिवार्य रूप से केवल PMSG:MBY राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए ही किए जाने चाहिए।

III. विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उपभोक्ताओं के समूह या किसी एक उपभोक्ता द्वारा केवल अपने उपयोग (कैप्टिव कंजम्प्शन) के लिए उपयोग किए जाने वाले निजी बिहाइंड-द-मीटर सौर विद्युत संयंत्रों को पहले से ही ALMM लिस्ट-I (सोलर PV मॉड्यूलों के लिए) और ALMM लिस्ट-II (सोलर PV सेलों के लिए) दोनों से छूट प्राप्त है।

(ङ) दिनांक 07.08.2026 की स्थिति के अनुसार, भारत में स्थापित सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता, जो सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए ALMM लिस्ट-I में लिस्टबद्ध है, लगभग 213 GW है और भारत में स्थापित सौर पीवी सेल निर्माण क्षमता, जो सौर पीवी सेल के लिए ALMM लिस्ट-II में लिस्टबद्ध है, लगभग 32 GW है।

(च) वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में सौर विद्युत की क्षमता वृद्धि लगभग 45 GW थी। कुछ यूटिलिटी-स्केल सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए की गई DC ओवरलोडिंग के कारण वास्तविक आवश्यकता/मांग इससे कुछ अधिक हो सकती है।
